

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्यालीसीड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी। लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेएर आरक्षित दल भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्ताव

## FORM-I

(for linear projects)  
uttarkashi

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector  
Dated-19-07-2016


## TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 7.152 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of construction division public works department...chinalisour uttarkashi for road construction in uttarkashi district falls within jurisdiction of Bangoan-Chapra-Kaslana.village (s) in chinalisour and Barkot tehsils.

## It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 7.152 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.



District Collector-uttarkashi

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of uttarkashi, district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr/ D.K. Choudhury I.A.S district magistrate uttarkashi on dated 19/7/11....at uttarkashi, in which application claiming rights in forest land area measuring 7.152. hect for the construction of Bangan-chapra-kaslana motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of chinyalsaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...uttarkashi.....  
Dated:.....

*D.K. Choudhury*  
कानूनी प्रतिकारी  
(D.K. Choudhury)  
District Magistrate-uttarkashi

*Sd/-* *B.M.C.*

**It is certified that -Minutes of meeting of Bangoan-Chara-Kasalana road  
(Length 9.00 Km.) Regarding FRA is as following:-**

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 7.152 Hectare of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given Consent to it.	Yes copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid Motor road attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

(D.K. Choudhury)

District Magistrate-cum-chairman

District Level Committee

Uttarkashi

राकेश  
दस्तखत दिलाई  
वरुण (उत्तरकाशी)

सी.एस. जितेंद्र सिंह  
इण्डिया उत्तरकाशी,

# कायोलय जिलाधिकारी उत्तरकाशा

## जिला स्तरीय समिति, जिला—उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/07/2016 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्हालीसौड़ के ग्राम बनगांव—चापडा—कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.152 हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डी०क० चौधरी	जिलाधिकारी उत्तरकाशी	<i>प्रभागीय जिलाधिकारी उत्तरकाशी</i>
2	श्री नरेन्द्र यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी ।	<i>नरेन्द्र यादव</i> <i>19/07/16</i>
3	श्री जी.के. रस्तोगी	प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी	<i>जी.के. रस्तोगी</i>
4		प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट	<i>प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट</i> <i>19/07/16</i>
5	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य	<i>जितेन्द्र राणा</i> <i>जिला पंचायत सदस्य</i>
6	श्रीमती अनीता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य	<i>अनीता गुसाई</i> <i>जिला पंचायत सदस्य</i>
7	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य	<i>अनिल कुमार</i> <i>जिला पंचायत सदस्य</i>

प्रारूप-30.2

卷之三

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी 10 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेठो आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौँड

उपखण्ड चिन्यालीसौङ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापडा-कसलाना मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (3.417 हेठो) आरक्षित वन भूमि 2.292 हेठो सिविल एवं सौयम वन भूमि रिक्त वन पंचायत भूमि, डम्पिंग यार्ड 1.125 हेठो अर्थात कुल (3.417 हेठो वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनदारसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौङ) की दिनांक 14-7-16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत दन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय दन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ असधाल उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय दन अधिकार समिति वी. अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सौरभ असवाल उपजिलाधिकारी डुण्डा  
 2- श्री आर०बी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी घरासू  
 3- सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड  
 4- श्री विजेन्द्र सिंह रावत बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड

अध्यक्ष  
सदस्य  
सदस्य / सचिव  
तदर्थ  
ड 

उपखण्ड संघिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्थागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3,417 हेठु वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से परियोजना के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, घरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राधिगान वो ऐसे इस जानकारी से माननीय सदस्यों को अग्रगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, हुण्डा-द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिषेत्र के अन्तर्गत बन्डा-चोपड़ा-कस्लाना-गमराठमोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ₹.152 हे० वन भूमि लोक निर्माण विमाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— चिन्यालीसौड़  
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... उत्तरकाशी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील— चिन्यालीसौड़  
जनपद उत्तरकाशी

प्रारूप—30.2

परिवार का नाम :-

**प्रारम्भ 30.2**  
राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड विन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी 10 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 है। आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बड़कोट  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति नौगांव

उपर्युक्त रिपोर्ट का अन्तर्गत उपखण्ड चिन्ध्यालीसौँड परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग के 1.1004 कि.मी. हेतु (3.735 हेक्टेकर्ट) आरक्षित वन भूमि 2.065 हेक्टेकर्ट सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.63 हेक्टेकर्ट (1.1004 कि.मी. डम्पिंग यार्ड 1.04 हेक्टेकर्ट अर्थात् कुल (3.735 हेक्टेकर्ट वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग परम्परागत एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनावारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बल्कोट) की दिनांक 31/12/2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार गांगड़े उप जिलाधिकारी डुण्डा एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- १ श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी बड़कोट  
२ उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव  
३ राहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव  
४ श्रीमती रचना बहुगुणा बी०डी०सी० क्षेत्र नौगांव


अध्यक्ष डॉ. जगतराम अध्यक्ष अध्यक्ष  
सदस्य सदस्य (प्रतिपक्षी)  
सदस्य / सचिव  
सदस्य *(Signature)*  
*(Signature)* द्रव्युल  
नेता पंचायत नेता

उपर्युक्त सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अभिभावति रो बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम सभा का नापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.735 हेक्टर भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत सभाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्यावर्त्तन के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्त्तन की अनुशंसा की गई है।

रावणित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत गन  
जितानी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राप्तिधान को साप-  
कारी है। जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत  
लोकोपेक्षा स्तरात् /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस रावणे ने याम रणा प्राप्त

द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.735 हेटु वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


  
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- बड़कोट

जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ..... उत्तरकाशी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- बड़कोट

जनपद उत्तरकाशी

ना का ना.

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड यिन्यालीसौड के  
बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी 10 लम्बाई) निर्माण हेतु 7.  
152 हेठो आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम उत्तरकाशी  
तहसील-----, जिला उत्तरकाशी

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र

राखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत पंचायत चौपड़ा कालताना परियोजना के निर्माण हेतु (3.105 हेठो आरक्षित वन  
भूमि, 0.63 हेठो सिविल सोयम भूमि, 5 हेठो, वन पंचायत भूमि - 2 हेठो) अर्थात कुल 3.735 हेठो वन भूमि का  
मन्त्रालयीकृत विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया  
गया।

प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 3/5/1991 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता  
जेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
नियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा  
है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का  
/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत  
अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

वाँ के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम उत्तरकाशी के  
प्राविधानों को उक्त वन भूमि 3.735 हेठो भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं  
है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हेठो/-

पार्षद बद्रीनाथ गुप्ता  
ग्राम पंचायत सचिव 1/1/2011  
ग्राम पंचायत सचिव गुप्ता



प्रारूप-30'3

**परियोजना का नाम:-** राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि प्रस्तावण प्रस्ताव।

### वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम—चापड़ा  
तहसील चिसौड़, जिला—उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी-के अन्तर्गत बनगाव-चापड़ा-कसलाना परियोजना के निर्माण हेतु (6.522 हेक्टेअर आरक्षित वन, भूमि, 0.63 हेक्टेअर सिविल सोयन भूमि, 0.11 हेक्टेअर वन पंचायत भूमि, 4.11 हेक्टेअर) अर्थात् कुल 7.152 हेक्टेअर वन भूमि का लोकनियम—विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चापड़ा द्वारा दिनांक 20.6.16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्राप्ति पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा भी गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी लोकज्ञा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कज्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चापड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोकनियम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर दोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो क्षत्य एवं तहीं :

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)  
उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/7/16 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम- अनंगाव- बापुड़ी बाईलानी मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री सौरभ असवाल	उपजिलाधिकारी डुण्डा	
2	श्री आर०बी० सिहं	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	
3	श्री सुधीर चन्द्र जोशी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड़	
4	श्री विजेन्द्र सिहं रावत	बी०डी०सी० क्षेत्र चिन्यालीसौड़	

कार्यालय उप जिलाधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, नौगांव उत्तरकाशी।

आज दिनांक 31.5.2014 को चिन्यालीसौड से ग्राम-पुराणा नाललाल  
मोटर मार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत  
उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में हुयी  
मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजकुमार पाण्डे	उपजिलाधिकारी बड़कोट	<u>R. K. P.</u>
2	श्री अमृत सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगांव	<u>A. S.</u>
3	प्रलाव सिंह दावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी नौगांव	<u>P. D.</u>
4	श्रीमती रचना बहुगुणा	बी0डी0सी0 क्षेत्र नौगांव	<u>R. Bahuguna</u>

# प्रारूप—30.4

दिनांक 26/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ..... वाइपुरी .....

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्हालीसौँड के बनगांव-चापड़ा-कसलाना मोटर गार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी. लम्बाई) निर्माण हेतु 7.152 हेक्टेएर आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दीपाली दास	Deopalal Das
2	चैन सिंह राजा	Chain Singh Raja
3	श्रीखुर सिंह	Shrikher Singh
4	बिनेश लाल	Bineesh Lal
5	अमृत सिंह	Amrit Singh
6	श्रीशापाल	Shri Shapal
7	राज्या लाल	Rajya Lal
8	बलवीर सिंह	Balveer Singh
9	केवर सिंह	Kewar Singh
10	प्रियम सिंह	Priyam Singh
11	दुष्टल	Dushpal
12	अमित	Amit
13	इकम सिंह	Ekm Singh
14	अमरबद सिंह	Amarbhad Singh
15	रम	Ram
16	महेश	Mahesh
17	अंजपाल सिंह	Angopal Singh
18	ठारवीर सिंह	Tharvir Singh
19	रघुबीर सिंह	Raghubir Singh
20	परम सिंह	Param Singh
21	सुधाव लाल	Sudhav Lal
22	विजयपाल सिंह	Vijaypal Singh
23	उतम सिंह	Utram Singh
24	पवर सिंह	Pawar Singh
25	मारवीर	Marevir
26	जगबीर सिंह	Jagbeer Singh
27	जगमा हनु सिंह	Jagmohan Singh

प्रारूप-30.4

उप प्रधान  
ग्राम पंचायत चेपडा  
विधान सभा नगरपालिका



प्रारूप-30.4

दिनांक 3/5/2010 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत के सम्बन्धीय वैठक की उपस्थिति

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद-उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीरौड़ के बनगांव-चापड़ा-कसलाना गोटर मार्ग का विस्तार कार्य (9.00 किमी 10 लाखाई) निर्माण हेतु 7.152 हेठो आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ग्राम सभा का नाम-

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१०	कसलाना ५१० गोटर गांव	५१०/११०
११	अकलर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१२	कसलाना ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१३	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१४	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१५	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१६	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१७	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१८	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
१९	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
२०	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
२१	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
२२	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
२३	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
२४	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०
२५	गोटर ५१० गोटर गांव	५१०/११०

संगीत.

जगद्दिल